UPBJ010003982019

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

एस0एस0 टी0 संख्या 21/2019

सरकार बनाम सरफराज

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **सरफराज** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 04.10.2017 को किसी समय वहद ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर में आपने वादिनी मुकदमा रूपा देवी से धोखा–धडी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनवाने हेतु 50,000/–रूपये प्राप्त कर छल किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि दिनांक 19.10.2018, समय करीब 8:00 बजे को उपरोक्त स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा रूपा देवी से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिनॉक 04.10.2017 को आवास बनवाने हेतु लिए गए अंकन 50,000/–रूपये वादिनी के वापस मॉगने पर वापस न करके न्यास भंग किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 406 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त स्थान पर वादिनी मुकदमा रूपा देवी द्वारा मकान बनवाने या रूपये वापस करने के लिए कहने पर उसके साथ लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.06.09 16:29:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुकदमा रूपा देवी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा रूपा देवी से धोखा–धडी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनवाने हेतु 50,000/–रूपये प्राप्त किए तथा वापस नहीं किए और वादिनी को अपमानित करने के आशय से जाति सूचक गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (1) द** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा रूपा देवी से धोखा–धडी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनवाने हेतु 50,000/–रूपये प्राप्त वापस नहीं किए और जाति सूचक गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति की सदस्या है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (1) ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 09–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 09–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010003982019

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

एस0एस0 टी0 संख्या 21/2019

सरकार बनाम सरफराज

09–06–2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त सरफराज अभिरक्षा में जिला कारागार से मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त सरफराज के विरूद्व धारा 420,406,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 09–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त सरफराज के विरूद्व धारा 420,406,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) द, 3 (1) ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक – –2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 09–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।